

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी (राज0)  
पीठासीन अधिकारी— श्री राजेश जोशी  
आर.ए.एस.

मिसल संख्या:  
65/अपील/2019

तारीख दायरा  
26.07.2019

तारीख निर्णय  
19.09.2019

बबलू आ. हरिसिंह जाति बंजारा निवासी ग्राम फूल्याणी का झोपड़ा सूहरी  
तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (राजस्थान) — अपीलांट  
— बनाम —

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार दबलाना जिला बून्दी (राज0)  
— रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 10.12.2018

नायब तहसीलदार, दबलाना

अन्तर्गत धारा 91 रा0 भू राजस्व अधिनियम

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :-

अपीलांट की ओर से — श्री पदम कासलीवाल, अभिभाषक।  
रेस्पोंडेन्ट की ओर से — परोकार सरकार

—: निर्णय :-

यह अपील नायब तहसीलदार, दबलाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2018 से अप्रसन्न होकर अपीलान्ट ने अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 26 रकबा 02 बीघा, खसरा नं. 26/668 रकबा 02 बीघा, खसरा नं. 26/669 रकबा 02 बीघा, खसरा नं. 32 रकबा 05 बीघा कुल किता 04 कुल रकबा 11 बीघा किस्म सिवाचयक वाके ग्राम सूहरी तहसील हिण्डोली का अतिचारी मानते हुये बेदखली, फसल जप्ती, पैनाल्टी, 1375/- रुपये एवं 90 दिन सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।

बहस अभिभाषक अपीलान्ट व परोकार सरकार सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश वस्तु स्थिति, विधान एवं प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया है एवं ना ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया है। केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट एवं भू-अभिलेख की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोई

अति० जिला कलक्टर  
बून्दी (राज०)

स्वतंत्र साक्ष्य नहीं लिये है। अपीलान्त को पूर्व में कभी भी भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है। अपीलान्त का कोई सिवायचक भूमि पर कब्जा नहीं है एवं ना ही किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण है। अपीलान्त ने विवादित भूमि पर से कब्जा छोड़ दिया है तथा पैनाल्टी राशि भी जमा करवा दी है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.12.2018 निरस्त फरमाया जावे।

पेरोकार-सरकार ने बहस के दौरान अपने मौखिक तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलान्त ने राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है तथा अपीलान्त को सुनवाई का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर दिया गया है। अपीलान्त को गत वर्ष भी अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया गया था जिसका विवरण पटवारी बयान व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अंकन है। अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है तथा बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। अपीलान्त ने अतिक्रमण भूमि से कब्जा नहीं छोड़ा है, कब्जा छोड़ने बाबत् कोई साक्ष्य, पटवारी रिपोर्ट आदि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलान्त ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है। पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् नोटिस दिया गया है। अपीलान्त द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह सिवायचक भूमि है जिस पर किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमण व कब्जा करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्त ने यह भी निवेदन किया है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को विधिवत् नोटिस दिया गया है जो बाद तामील पत्रावली में शामिल है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में गत वर्ष अपीलान्त को बेदखल किये गये निर्णय का अंकन अपीलान्त निर्णय व पटवारी रिपोर्ट व बयान में अंकित है तथा गत वर्ष बेदखल किये गये निर्णय व फर्द भौतिक रूप से बेदखल किये गये कि प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। जिससे अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है तथा अपीलान्त विवादित भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है तथा अपीलान्त ने सिवायचक भूमि पर कब्जा कर रखा है। अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।  
आदेश आज दिनांक 19.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश जोशी, R.A.S.)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर,  
बून्दी (राज.)